संख्या-34/2017-1574 ई-2/तेरह-2017-42/2001

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 08 अगस्त,2017

विषय:- जनपद सहारनपुर में स्थित मेट्रो बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, एफ0एल0-6(समिश्र) अनुज्ञापन, अम्बाला रोड, सहारनपुर की प्रास्थिति स्थानान्तरित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-851/आबकारी/बार अनुज्ञापन, दिनांक 26 मई,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में आपके उक्त पत्र दि0 26 मई,2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-181/दस-लाइसेंस-65/(खण्ड-5)/एफ0एल0-6,7 बार अनु0/ सहारनपुर, दिनांक 28 जून,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेट्रो बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, अम्बाला रोड, सहारनपुर को नये परिसर चर्च रोड, थाना-सदर बाजार रोड, सहारनपुर में स्थानान्तरित करने व एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन के स्थान पर एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन के रूप में संचालित करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

तदनुसार कृपया आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-34/2017/1575(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-181/दस-लाइसेंस-65/(खण्ड-5)/एफ0एल0-6,7 बार अनु0/सहारनपुर, दिनांक 28 जून,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।